वर्ष-10/3/25

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :— सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :— 51/2025 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :— 2025/82**

दायर दिनांक :— 10.03.2025 **निर्णय दिनांक :— 07.08.2025**

1. पुखसिंह पुत्र गोपालसिंह जाति पुरोहित निवासी बावड़ी तहसील व जिला फलोदी
2. मगसिंह पुत्र गोपालसिंह जाति पुरोहित निवासी बावड़ी तहसील व जिला फलोदी
3. रमेशसिंह पुत्र शंकरसिंह जाति राजपुरोहित निवासी बावड़ी तहसील व जिला फलोदी

—प्रार्थीगण

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी
2. प्रतापसिंह पुत्र गोपालसिंह जाति पुरोहित निवासी बावड़ी तहसील व जिला फलोदी
3. मंजू कंवर पत्नी रमेशसिंह जाति राजपुरोहित निवासी बावड़ी तहसील व जिला फलोदी

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :— 1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री मूलचंद सुथार अधि. अप्रार्थी सं. 2 व 3
3. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

सहायक कलेक्टर बाप, जिला फलोदी (राज.)

—:: निर्णय ::—

प्रार्थीगण ने राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 का इस आशय से पेश किया है कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी अधिकारों की भूमि खसरा नम्बर 1215 रकबा 10.0038 हैक्टेयर, अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 3 की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1215/1 रकबा 9.9553 हैक्टेयर सरहद मौजा जानुपुरा पटवार हल्का शेखासर तहसील बाप जिला फलोदी में स्थित है। उक्त भूमि पूर्व में प्रार्थीगण की खरीदसुदा भूमि है। खरीद अनुसार पटवारी हल्का द्वारा खाता सरासर गलत रूप से अलग कायम कर दिया गया लेकिन उक्त भूमि मौके पर सामलाती ही है। प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी अधिकारों की कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 1215/1 रकबा 9.9553 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1215 रकबा 10.0038 हैक्टेयर भूमि की तरमीम पटवारी हल्का द्वारा मौके की जांच किये बिना ही अपने ऑफिस में बैठे—बैठे सेग्रीकेशन योजना में प्रार्थीगण की तरमीम मौके पर कब्जा व काश्त के भिन्न कर दी गई है जो सरासर गलत एवं काबिल खारिज के है जबकि प्रार्थीगण का मौके पर कब्जा व काश्त वर्तमान तरमीम से भिन्न चला आ रहा है। इसलिये प्रार्थीगण ग्राम जानुपुरा पटवार क्षेत्र शेखासर तहसील बाप के खसरा नम्बर 1215/1 रकबा 9.9553 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1215 रकबा 10.0038 हैक्टेयर भूमि के नक्शा लट्ठा में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 2 ता 3 के कब्जा व काश्त के विपरित की गई तरमीम को निरस्त करवाने एंव उक्त खातों का एकीकरण करवाने के अधिकारी है जिसका यह प्रार्थना पत्र पेश है।

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की और से अधिवक्ता मूलचंद सुथार ने वकालतनामा व इकबालिया जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार बाप ने जवाब व मौका रिपोर्ट पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी पैरोकार सरकार ने जवाब में बताया कि ग्राम जानुपुरा पटवार हल्का शेखासर तहसील बाप के खसरा नम्बर 1215 रकबा 10.0038 हैक्टेयर, अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1215/1 रकबा 9.9553 हैक्टेयर भूमि की तरमीम पुराना नक्शा लट्ठा में नहीं हो रखी है। डीआईएलआरएमपी योजना के अन्तर्गत ऑनलाईन तरमीम हो रखी है जो कब्जा व काश्त अनुसार न होकर विपरित/त्रुटिपूर्ण हो रखी है। खसरा नम्बर 1215 व 1215/1 के खातेदारों का कब्जा व काश्त एक जगह न होकर अलग-अलग जगह होने के कारण उक्त खसरों की तरमीम निरस्त कर एकीकरण योग्य है।

बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 सुनी गयी। दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस पर मनन किया गया। ग्राम जानुपुरा पटवार हल्का शेखासर तहसील बाप जिला फलोदी खेत खसरा नम्बर 1215 रकबा 10.0038 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1215/1 रकबा 9.9553 हैक्टेयर भूमि की तरमीम खातेदारों के कब्जा काश्त के भिन्न है परन्तु पुराना नक्शा लट्ठा में तरमीम अंकित नहीं है। पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट इत्यादि का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि आराजी खसरान् की तरमीम सेग्रीकेशन योजना के तहत ऑनलाईन नक्शा में की गई है। तहसीलदार बाप ने भी अपने जवाब मे कथन किया है कि आराजी खसरान् का एकीकरण किया जाना उचित है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर उपरोक्त वर्णित खसरान् का एकीकरण किया जाना उचित समझते है।

क्रियात्मक आदेश

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि ग्राम जानुपुरा पटवार हल्का शेखासर तहसील बाप जिला फलोदी खेत खसरा नम्बर 1215 रकबा 10.0038 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1215/1 रकबा 9.9553 हैक्टेयर भूमि की वर्तमान ऑनलाईन तरमीम को निरस्त की जाकर एकीकरण किये जाने का आदेश तहसीलदार बाप को दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.08.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर

(सुखाराम पिण्डेल, R.A.S.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)